न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 328 सन 2019

अनवान :—

1. सुरेन्द्र पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

3. कमलेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 21/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 151/59 के खसरा न0 28/1 की 1.2520हैक्, खसरा न0 142/2 की 5.2610हैक् खसरा न0 333/2 की 0.1520हैक् कुल 6.6650हैक् एवं खाता संख्या 152/61 के खसरा न0 323/0.5310 हैक् ,भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा फुसाराम पुत्र मंगलुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा फुसाराम पुत्र मंगलुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा फुसाराम पुत्र मंगलुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता फुसाराम पुत्र मंगलुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 151/59 के खसरा न0 28/1 की 1. 2520हैक् , खसरा न0 142/2 की 5.2610हैक् खसरा न0 333/2 की 0.1520हैक् कुल 6.6650हैक्

उपखण्ड ...री (राजस्व)
नोहर

एवं खाता संख्या 152/61 के खसरा न0 323/0.5310 हैक्ट ,भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा फुसाराम पुत्र मंगलराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा फुसाराम पुत्र मंगलुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा फुसाराम पुत्र मंगलुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 151/59 के खसरा न0 28/1 की 1.2520हैक्ट , खसरा न0 142/2 की 5.2610हैक्ट खसरा न0 333/2 की 0.1520हैक्ट कुल 6.6650हैक्ट एवं खाता संख्या 152/61 के खसरा न0 323/0.5310 हैक्ट ,भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2013 एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद भूमि फुसाराम पुत्र आदुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा फुसाराम पुत्र आदुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा फुसाराम पुत्र आदुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,3 बहिब के हकदार है प्रतिवादी संख्या 1 ने भी स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जो चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर एवं प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होती है अतः वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 151/59 के खसरा न0 28/1 की 1.2520हैक्ट , खसरा न0 142/2 की 5.2610हैक्ट , खसरा न0 333/2 की 0.1520हैक्ट कुल 6.66650हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज में वादी 7 बीधा 10 बिश्वा यानी 1.8975 हैक्ट तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का 7 बीधा 10 बिश्वा अर्थात 1.8975हैक्ट एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2.87हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुरेन्द्र पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 श्रवण कुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

3. कमलेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 328 सन 2019 निर्णय दिनांक– 21/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 151/59 के खसरा न0 28/1 की 1.2520हैक्, खसरा न0 142/2 की 5.2610हैक्, खसरा न0 333/2 की 0.1520हैक् कुल 6.66650हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज में वादी 7 बीधा 10 बिश्वा यानी 1.8975 हैक् तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का 7 बीधा 10 बिश्वा अर्थात 1.8975हैक् एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2.87हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)